

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: GST व्यवस्था के अंतर्गत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन की बावत |

उपरोक्त विषय पर दिनांक 15.01.2019, 05.01.2022 और 10.02.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि मंत्रियों के समूह (GoM) की पुनर्गठित सदस्यता इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम और राज्य	स्थिति
1.	श्री देवेन्द्र फडणवीस	उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	संयोजक
2.	श्री हरपाल सिंह चीमा	वित्त, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन, उत्पाद शुल्क एवं कराधान और सहकारिता मंत्री, पंजाब	सदस्य
3.	श्री कनुभाई देसाई	वित्त मंत्री, गुजरात	सदस्य
4.	श्री के. एन. बालागोपाल	वित्त मंत्री, केरल	सदस्य
5.	श्री मौविन गोडिन्हो	परिवहन, उद्योग, पंचायत और प्रोटोकॉल मंत्री, गोवा	सदस्य
6.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त और संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	श्री विजय कुमार चौधरी	वित्त, वाणिज्यिक कर और संसदीय कार्य मंत्री, बिहार	सदस्य

2. जीएसटी शासन के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) के अन्य निर्धारित कार्यक्षेत्र अपरिवर्तित रहेंगे।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ. एन गांधी कुमार)

निदेशक (राज्य कर)

दूरभाष: 011-23092613

सेवा में:

- 1) मंत्रियों के समूह (GoM) के सभी सदस्य और अधिकारी
- 2) राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 3) अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 4) संयुक्त सचिव TRU, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

- 5) सीईओ, GSTN, एयरोसिटी, नई दिल्ली
- 6) विधि समिति, फिटमेंट समिति और आईटी समिति के संयोजक
- 7) जीएसटी परिषद सचिवालय, नई दिल्ली
- 8) माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 9) माननीय राज्य मंत्री (वित्त) के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली